Rule 112 : Production of additional evidence before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal

(1) The appellant shall not be allowed to produce before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceedings before the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority except in the following circumstances, namely:-

- **(a)** where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or
- **(b)** where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority; or
- **(c)** where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority any evidence which is relevant to any ground of appeal; or
- **(d)** where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.

(2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Appellate Authority or the Appellate Tribunal records in writing the reasons for its admission.

(3) The Appellate Authority or the Appellate Tribunal shall not take any evidence produced under sub-rule (1) unless the adjudicating authority or an officer authorised in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity -

- **(a)** to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant; or
- **(b)** to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant under sub-rule (1).

(4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable it to dispose of the appeal.

नियम 112 : अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना

(1) अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न कोई साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात् :

(क) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जो स्वीकृत किए जाने चाहिए थे; या

(ख) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा; या

(ग) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा; या

(घ) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी को अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश किया।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण अभिलेख में लिखित रूप में उसे स्वीकार करने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं करता है।

(3) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया जाता है –

(क) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण या किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा; या

(ख) उपनियम (1) के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करना।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण की अपील को निपटाने में उसे समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह के परीक्षण को निर्देशित करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।